रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 363] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2005/भाद्र 8, 1927
No. 363] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2005/BHADRA 8, 1927

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2005

सा.का.नि. 546(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात,:-

1 (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) तृतीय संशोधन नियम, 2005 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकशन या अन्यथा वर्णित तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2 पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में, अनुसूची - I में -

(i) क्रम स.14 में **छोटी लुगदी और कागज उद्योग** से संबंधित, कॉलम 3 और 4 में मौजूद प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

क्र.सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
1	2	3	4
	" बहिस्राव में अवशोषण योग्य आरगेनिक हेलोजन्स (ए.ओ.एक्स)	3. 00 कि.ग्रा/टन कागज उत्पादित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ।	
		2. 00 कि. ग्रा. /टन कागज उत्पादित 1 मार्च 2006 से लागू ।	

स्पष्टीकरण - ये मानक समस्त उन लुगदी और कागज लघु मिलों पर लागू होंगे जिनकी प्रति वर्ष क्षमता 24,000 मेट्रीक टन से कम है ।"

(ii) **बड़ी लुगदी और कागज/अखबारी कागज/रेयन ग्रेड लुगदी संयंत्र जो 24000 एम टी/वर्ष से अधिक क्षमता के हों,** से संबंधित, क्रम संख्या 53 में-

(क) कॉलम 2 में, " 24,000 मेट्रिक टन/वर्ष क्षमता " शब्दों, संख्याओं और अक्षरों के स्थान पर " 24,000 मेट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता " शब्द, संख्या और अक्षर प्रतिस्थापित किए जायेंगे ।

(ख) कॉलम 3 और 4 में 'टी ओ सी एल. बहाव उत्पाद का 2.0 किलाग्राम/ टन' के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा :

1	2	3	4
		"बहिस्राव बहाव में अवशोषण योग्य आरगेनिक हेलोजन्स (एओएक्स)	1.5 किलो ग्राम/टन उत्पाद का इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से 1.0 किलोग्राम/ टन उत्पाद का 1 मार्च, 2008 से "

(iii) ' ऑयल ड्रिलिंग और गैस निष्कर्षण उद्योग ' से संबंधित कम संख्या 72 के पैरा 'ग' और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"ग, **अपतट और अभितट ड्रिलिंग प्रचालन से जनित ठोस अपशिष्ट, ड्रिल कटिंग और ड्रिलिंग फ्लुईड्स का निपटान हेतु दिशानिर्देश-**

1 अभितट संस्थापनाओं द्वारा ड्रिल कटिंग और ड्रिलिंग फ्लुईड्स का निपटान:

(क) अभितट अथवा तटीय रेखा के नजदीक स्थलों से प्रारंभ हुए और जल आधारित पंक (डब्ल्यु बी एम) से अलग किए गए ड्रिल कटिंग्स (डी सी) को उचित तरह से साफ करके और डब्ल्यु बी एम, तेल आधारित पंक (ओ बी एम), कृत्रिम आधार के पंक जैसे अप्रयोज्य ड्रिलिंग द्रव्य (डी एफ) को, स्थल से दूर अथवा स्थल पर स्थित, अपारगम्य लाइनर वाले सुनियोजित तरीके से डिजाइन किये गए डिस्पोजल पिट में निपटान किया जाए । डिस्पोजल पिट, लीचेट एकत्रण प्रणाली से साथ अतिरिक्त रुप से उपलब्ध कराई जाए ।

अपारगम्य अपशिष्ट डिसपोजल पिट के डिजाइन पक्षों को, डिसपोजल पिट को ढकने के संबंध में तेल उद्योग द्वारा सहमति प्राप्त करने के समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस पी सी बी)को सूचना दी जाए ।

(ख) डीजल पर आधारित पंक का प्रयोग प्रतिबंधित है । अभितट तेल ड्रिलिंग प्रचालनों के लिए केवल डब्ल्यू बी एम का प्रयोग किया जाए ।

(ग) ड्रिलिंग के लिए, भू-विज्ञान फार्मेशन के कारण किसी समस्या के मामले में, <1 प्रतिशत से कम एरोमेटिक कन्टेन्ट वाले एवं कम विषाक्तता वाले ओ बी एम का प्रयोग किया जाए । यदि विशिष्ट रंद्र समस्या/एसबीएम को कम करने में प्रचालकों का आशय ऐसे ओ बी एम को प्रयोग करने का है तो इस की सूचना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाए ।

(घ) डी एफ को तैयार करने के लिए प्रयोग किए गए रसायनिक योगात्मकों में कम विषाक्तता जैसे 96 hr LC_{50}>30, 000 मिलिग्राम/लीटर स्थानीय रुप से उपलब्ध संवेदनशील समुद्री प्रजातियों पर किए गए विषाक्तता परीक्षण माईसिड विषाक्तता अन्यथा विषाक्ता परीक्षण के अनुसार होनी चाहिए । प्रयोग में लाए गए रसायनिक (मुख्यतया जैविक अवयव) जैव-अवक्रमणीय होने चाहिए ।

(ड.) डिस्पोजल पिट में निपटान किये जाने हेतु साफ करने के बाद ओ बी एम के अलग किए गए डी सी में तेल का अंश 10 ग्राम/किलो ग्राम से कम होना चाहिए ।

(च) अवशिष्ट गड्ढ़े को भरने के बाद, अपारगम्य लाईनर से ढका जायेगा, जिसके ऊपर उचित टोप स्लोप सहित स्थानीय मृदा की मोटी परत चढ़ाई जायेगी ।

(छ) ड्रिलिंग प्रचालन के दौरान संस्थापित करते समय कम विषाक्तता वाले ओ बी एम उपलब्ध कराए जायेंगे ।

(ज) डी सी वाश वाटर सहित ड्रिलिंग अवशिष्ट जल डिस्पोजल गड्ढे में इकट्ठा किया जायेगा ; वाष्पित अथवा शोधित और अभितट डिस्पोजल के लिए अधिसूचित मानदंडों के अनुरुप होना चाहिए ।

(झ) डी एफ को तैयार करने में प्रयोग किये गए बेराइट में मरकरी की मात्रा >1 मिली ग्राम/किलोग्राम से अधिक नहीं और केकमिटाम >3 मिलीग्राम/कि. ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ञ) ड्रिलिंग प्रचालन के पूरा हो जाने के पश्चात ड्रिल स्थल की तैयारी के लिए कुल प्राप्त की गई सामग्री अवश्य पुनः स्थापित की जाएगी और स्थल पर कोई अपशिष्ट सामग्री नहीं छोड़ी जाए । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पुनः स्थापना कार्य के विषय में सूचित किया जाए ।

(ट) ड्रिल अपशिष्टों के निपटान के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल तरीकें जैसे कि (क) केसिंग एन्युअल्स के माध्यम से फार्मेशन का अंतःक्षेपण, अगर उचित हो (ख) उपयुक्त स्थल पर कृषि (ग) जैव-उपचारी (घ) भस्मीकरण अथवा (ड.) घनीकरण पर विचार किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ/एस पी सी बी) को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा ।

2. अपतट संस्थपनाओं के लिए ड्रिल कटिंग और ड्रिलिंग फ्लुईड्स का निपटानः

(क) डीजल पर आधारित पंक का प्रयोग प्रतिबंधित है । अपतट ड्रिलिंग के लिए केवल डब्ल्यु बी एम अनुज्ञात है । यदि प्रचालक का आशय फार्मेशन में विशिष्ट रंद्र समस्या को कम करने में कम

IndiaCode

विषाक्तता वाले ओ बी एम अथवा एस बी एम का प्रयोग करना है तो इस बारे में सूचना पर्यावरण एवं वन मंत्रालय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाए । कम विषाक्त ओबीएम में एरोमेटिक अंश 1 प्रतिशत से कम होना चाहिए ।

(ख) डी एफ (डब्ल्यु बी एम अथवा ओ बी एम अथवा एस बी एम) में प्रयोग किये गए रसायनिक योगात्मकों की विषाक्तता जैव-अवक्रमणीय (मुख्यता जैवीय अवयवें) होनी चाहिए और स्थानीय उपलब्ध संवेदनशील समुद्री प्रजातियों पर किए गए विषाक्तता परीक्षण अथवा माईसिड विषाक्तता की 96 hr LC_{50} वेल्यू >30,000 मिली ग्राम/लीटर से अधिक होनी चाहिए।

(ग) डी एफ में हेक्सावेलेन्ट क्रोमियम कम्पाऊन्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए । डी एफ में क्रोम लिग्नोसल्फोनेट के स्थान पर वैकल्पिक रसायनिक का प्रयोग होना चाहिए । यदि क्रोम कम्पाऊन्ड का प्रयोग किया है तो डी एफ/डीसी का अपतट पर निपटान नहीं होना चाहिए ।

(घ) आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर अपतटों पर डी एफ का बड़ी मात्रा में बहाव प्रतिबंधित है।

(ड.) अधिकतम मात्रा में डब्ल्यु बी एम/ओबीएम/एसबीएम का पुनःचक्रण किया जाए । ओबीएम के अप्रयोज्य भाग को समुद्र में न बहाया जाये और अपारगम्य अपशिष्ट निपटान गड्ढों में शोधन और निपटान के लिए अभितट पर लाया जाये ।

(च) पूरी तरह से धोया हुआ डी सी, डब्ल्यु बीएम/एसबीएम से अलग किया गया डीसी और 96 hr LC_{50} > 30,000 मिली ग्राम/लीटर की विषाक्तता के डब्ल्यु बी एम /एसबीएम के अप्रयोज्य भाग का अपतट समुद्र में, 50 bbl/hr /वैल की औसत दर से प्लेटफार्म से आंतरायिक बहाव किया जाए ताकि समुद्री पर्यावरण पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के उचित विसर्जन और अवमिश्रण किया जा सके ।

(छ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संवेदनशील क्षेत्रों में किसी भी संरचना की ड्रिल कटिंग न छोड़ी जाए ।

(ज) विशिष्ट रन्ध्र समस्या के मामले में ओ बी एम का इस्तेमाल ड्रिल कटिंग का शून्य विसर्जन तक परिसीमित किया जाएगा । शून्य डिस्चार्ज में, उपयुक्त फार्मेशन में ड्रिल कटिंग का पुनर्अन्तःक्षेपण अथवा उपयुक्त व्यवस्थापन हेतु उसे (ड्रिल कटिंग) किनारे पर लाना शामिल है । ऐसे मामले में अंतःक्षेपण हेतु ओ बी एम उपयोग को अभिलिखित करके विनियामक अभिकरण को उपलब्ध किया जाए । 1% से कम एरोमेटिक मात्रा वाला कम अविषालु ओ बी एम प्रस्थापन के समय उपलब्ध किया जाए ।

(झ) यदि ड्रिल कटिंग (डीसी) को हाइड्रोकार्बन युक्त फार्मेशन से अधिक तेल मात्रा के साथ मिलाया जाता है तो ड्रिल कटिंग (डीसी) व्यवस्थापन में तेल की मात्रा 10ग्राम/किलो ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ञ) डी सी वॉश-वॉटर को समुद्र में प्रवाहित किए जाने से पहले उसे पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम (ईपीए) के अंतर्गत अधिसूचित सीमाओं को सुनिश्चित करने हेतु शोधित किया जाए । शोधित बहिस्राव की नियमित मानीटरी की जाए ।

(ट) यह सुनिश्चित किया जाए कि तट से 5 कि.मी. के भीतर स्थित अधिष्ठापन से ड्रिल कटिंग के विसर्जन से समुद्री पारि-तंत्र और तट पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े । यदि प्रतिकूल प्रभाव देखा जाता है तो उद्योगों द्वारा ड्रिल कटिंग को तट पर लाकर व्यवस्थापन हेतु अपारगम्य अपशिष्ट निपटान गड्डे में डालना होगा ।

(ठ) यदि डी एफ को प्रतिस्थापित किए जाने के लिए और निपटान प्रौद्योगिकी की कोई पर्यावरणीय अनुकूल प्रौद्योगिकी उभरकर सामने आती है तो उसे पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा विनियामक अभिकरणों के ध्यान में लाया जा सकेगा । उस पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी को प्रचालक (आपरेटर) यदि अपनाना चाहता है तो उसके लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है ।

(ड) डी एफ को तैयार करने में प्रयुक्त बेराइट में मरकरी की मात्रा>1mg/kg एवं केडमियम की मात्रा>3 mg/kg से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(ढ) ऑयल ड्रिलिंग प्रचालकों द्वारा अपतट में प्रतिदिन विसर्जन की जाने वाली डीसी और डी एफ की मात्रा और दैनिक बहिस्राव की गुणता को मानीटर करना तथा हर छः महीने में एक बार अनुपालन रिपोर्ट पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेजना अनिवार्य है ।

(iv) क्रम संख्या 96 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत में जोड़ी जाएगी, अर्थात-

1	2	3	4
" 97	**कृषि अपशिष्ट को ईंधन के रुप में उपयोग करने वाले बॉयलर**	स्टेप ग्रेट विविक्त पदार्थ	250मि.ग्रा./एनएम^3
		हार्स शू/पल्सेटिंग विविक्त पदार्थ	500मि.ग्रा./एन एम^3 (12 प्रतिशत कार्बन डाई आक्साइड)
		स्प्रैडर स्ट्रोकर विविक्त पदार्थ	500 मि. ग्रा0/एनएम ^{3} (12 प्रतिशत कार्बन डाई आक्साइड)

98. ओटाई मिलों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश

ध्वनि नियंत्रण हेतु उपाय

(i) ओटाई क्षेत्र के भीतर पंखों के लिए अलग साउंडप्रूफ एन्कलोजर्स का सृजन ।
(ii) अलग-अलग एन्क्लोजर्स में पंखे ओटाई कक्ष के बाहर की ओर रखना ।

2583 GI/2005-2

(iii) थूल प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए रोलर ओटनी को साउंडप्रूफ एन्कलोजर्स से ढका जा सकता है और कच्ची कपास चूषण के दौरान अपरिष्कृत सूत की वायवीय भराई का उपयोग ।

थूल नियंत्रण के उपाय

(i) ढकी हुई नलिकाओं (डक्ट्स) के माध्यम से कच्चे माल और मलसूत सामग्री की मकेनिकल अथवा वायवीय हैंडलिंग द्वारा और नलिकाओं और फिल्टरों के माध्यम से निकास-नली के साथ जोड़ी गई शिरोपरि हुड्स की व्यवस्था करके बेल फार्मरों के लिए लिफ्टिंग प्लेटफार्म के उपयोग द्वारा उत्सर्जनों को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है ।

(ii) निकास नली के साथ शिरोपरि हुड्स निम्नलिखित पर मुहैया किए जा सकते हैं :-

(क) मशीन में यथोचित भराई बनाए रखने के लिए हाथ से चलने वाली सॉ-जिनिंग मशीन में।
(ख) रोलर जिनिंग मशीन में मेनुअल भराई करते समय भराई बिन्दु (फीडिंग पाइंट) पर ।
(ग) सॉ-जिनिंग कंडेन्सर से मलसूत को इकट्ठा करने के स्थानों पर) । "

[फ्र. सं. वस्त्र-15017/95/2000-सीपीडब्ल्यू]
आर. के. वैश, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम का.आ.संख्या 844 (अ.), तारीख 19 नवम्बर, 1986 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् का.आ.सं0 433 (अ.),तारीख 18 अप्रैल, 1987, का.आ.सं0 64 (अ.), तारीख 18 जनवरी, 1988, का.आ.सं0 3 (अ.), तारीख 3 जनवरी, 1989, का.आ.सं0 190 (अ.), तारीख 15 मार्च, 1989, सा.का.नि. 913 (ई.), तारीख 24 अक्तूबर, 1989, का.आ.सं0 12 (अ.), तारीख 8 जनवरी, 1990, सा.का.नि. 742 (ई.) तारीख 30 अगस्त, 1990, का.आ.सं0 28 (अ.) तारीख 16 जनवरी, 1991, सा.का.नि. 93 (ई.) तारीख 21 फरवरी 1991, सा.का.नि. 95 (ई.) तारीख 12 फरवरी 1992, सा.का.नि. 329 (ई.) तारीख 13 मार्च 1992, सा.का.नि. 475 (ई.), तारीख 5 मई 1992, सा.का.नि. 797 (ई.) तारीख 1 अक्तूबर 1992, सा.का.नि. 386 (ई.) तारीख 28 अप्रैल 1993, सा.का.नि.422 (ई.) तारीख 19 मई 1993, सा.का.नि.. 801 (ई.) तारीख 31 दिसम्बर 1993, सा.का.नि. 176 (ई.) तारीख 3 अप्रैल 1996, सा.का.नि.. 631 (ई.) तारीख 31 अक्तूबर 1997, सा.का.नि. 504 (ई.) तारीख 20 अगस्त 1998, सा.का.नि.. 7 (ई.) तारीख 2 जनवरी, 1999, सा.का.नि.. 682 (ई.) तारीख 6 अक्तूबर 1999, सा.का.नि.. 742 (ई.) तारीख 25 सितम्बर 2000, सा.का.नि.. 72 (ई.) तारीख 6 फरवरी 2001, सा.का.नि. 54 (ई.) तारीख 22 जनवरी 2002, सा.का.नि. 371 (ई.) तारीख 17 मई 2002, सा.का.नि. 489 (ई.) तारीख 9 जुलाई 2002 का.आ.सं0 1088 (ई.) तारीख 11 अक्तूबर 2002, सा.का.नि. 849 (ई.) तारीख 30 दिसम्बर 2002 सा.का.नि. 520 (ई.) तारीख 1 जुलाई 2003, और सा.का.नि. 92 (ई.) तारीख 29 जनवरी, 2004, सा.का.नि.448 (ई.) तारीख 12 जुलाई 2004, और शुद्धि पत्र सा.का.नि. 520 (ई.), तारीख 12 अगस्त, 2004 के द्वारा उनमें संशोधन किया गया, सा.का.नि. 272 (ई.) तारीख 5 मई, 2005 और सा.का.नि. 315(ई.) तारीख 16 मई, 2005 ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2005

G.S.R. 546(E).— In exercise of the powers conferred by sections 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely: -

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Third Amendment Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette or otherwise as mentioned.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule I,-

(i) in serial number 14 relating to **'Small Pulp and Paper Industry'**, in columns 3 and 4, after the existing entries, the following entries shall be inserted, namely:-

Sr. No.	Industry	Parameter	Standards
1	2	3	4
		"Absorbable Organic Halogens (AOX) in effluent discharge	3.00 kg/ton of paper produced with effect from the date of publication of this notification. 2.00 kg/ton of paper produced with effect from the 1st day of March, 2006.

Explanation.- These standards shall apply to all small scale Pulp and Paper Mills having capacity below 24,000 MT per annum.";

(ii) in serial number 53 relating to **' Large Pulp & Paper News Print/Rayon Grade Plants of capacity above 24,000 MT/Annum'**-

(a) in column 2, for the words, figures and letters " capacity above 24,000 MT/Annum", the words, figures and letters "capacity above 24,000 MT per annum" shall be substituted;

(b) in columns 3 and 4, for " TOCL 2.0 kg/ton of product", the following shall be substituted, namely:-

1	2	3	4
		"Absorbable Organic Halogens (AOX) in effluent discharge	1.5 kg/ton of product with effect from the date of publication of this notification. 1.0 kg/ton of product with effect from the 1st day of March, 2008.";

(iii) in serial number 72 relating to 'Oil Drilling and Gas Extraction Industry' for paragraph C and entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

" C. **Guidelines for Disposal of Solid Waste, Drill Cutting and Drilling Fluids for Offshore and Onshore Drilling Operation-**

1. Disposal of Drill Cutting and Drilling Fluids for On-shore Installations:

(a) Drill Cuttings (DC) originating from on-shore or locations close to shore line and separated from Water Base Mud (WBM) should be properly washed and unusable drilling fluids (DF) such as WBM, Oil Base Mud (OBM), Synthetic Base Mud (SBM) should be disposed off in a well designed pit lined with impervious liner located off-site or on-site. The disposal pit should be provided additionally with leachate collection system.

Design aspects of the impervious waste disposal pit; capping of disposal pit should be informed by the oil industry to State Pollution Control Board (SPCB) at the time of obtaining consent.

IndiaCode

(b) Use of diesel base mud is prohibited. Only WBM should be used for on-shore oil drilling operations.

(c) In case of any problem due to geological formation for drilling, low toxicity OBM having aromatic content< 1% should be used. If the operators intend to use such OBM to mitigate specific whole problem/ SBM it should be intimated to Ministry of Environment and Forests/State Pollution Control Board.

(d) The chemical additives used for the preparation of DF should have low toxicity i.e. 96 hr LC_{50} > 30,000 mg/l as per mysid toxicity or toxicity test conducted on locally available sensitive sea species. The chemicals used (mainly organic constituents) should be biodegradable.

(e) DC separated from OBM after washing should have oil content at < 10 gm/kg for disposal into disposal pit.

(f) The waste pit after it is filled up shall be covered with impervious liner, over which, a thick layer of native soil with proper top slope is provided.

(g) Low toxicity OBM should be made available at installation during drilling operation.

(h) Drilling wastewater including DC wash water should be collected in the disposal pit evaporated or treated and should comply with the notified standards for on-shore disposal.

(i) Barite used in preparation of DF shall not contain Hg> 1 mg/kg & Cd> 3mg/kg.

(j) Total material acquired for preparation of drill site must be restored after completion of drilling operation leaving no waste material at site. SPCB should be informed about the restoration work.

(k) In case, environmentally acceptable methods for disposal of drill waste such as (a) injection to a formation through casing annuals, if conditions allow (b) land farming at suitable location (c) bio-remediation (d) incineration or (e) solidification can be considered, in such cases oil

2583 GI/2005-3

Industry is required to submit proposal to Ministry of Environment and Forests/State Pollution Control Board (MoEF/SPCB) for approval.

2. Disposal of Drill Cutting and Drilling Fluids for Off-shore Installations:

(a) Use of diesel base mud is prohibited. Only WBM is permitted for offshore drilling. If the operator intend to use low toxicity OBM or SBM to mitigate specific hole problems in the formation, it should be intimated to MoEF/SPCB. The low toxicity OBM should have aromatic content< 1%.

(b) The toxicity of chemical additives used in the DF (WBM or OBM or SBM) should be biodegradable (mainly organic constituents) and should have toxicity of 96 hr LC_{50} Value > 30,000 mg /l as per mysid toxicity or toxicity test conducted on locally available sensitive sea species.

(c) Hexavalent chromium compound should not be used in DF. Alternative chemical in place of chrome lignosulfonate should be used in DF. In case, chrome compound is used, the DF/ DC should not be disposed offshore.

(d) Bulk discharge of DF in offshore is prohibited except in emergency situations.

(e) WBM/OBM /SBM should be recycled to a maximum extent. Unusable portion of OBM should not be discharged into sea and shall be brought to on-shore for treatment & disposal in an impervious waste disposal pit.

(f) Thoroughly washed DC separated from WBM/SBM & unusable portion of WBM/SBM having toxicity of 96 hr LC_{50} > 30,000 mg/l shall be discharged off-shore into sea intermittently, at an average rate of 50 bbl/hr/well from a platform so as to have proper dilution & dispersion without any adverse impact on marine environment.

(g) Drill cutting of any composition should not be discharged in sensitive areas notified by the Ministry of Environment and Forests.

(h) In case of specific hole problem, use of OBM will be restricted with zero discharge of DC. Zero discharge would include re-injection of the DC into a suitable formation or to bring to shore for proper disposal. In such a case, use of OBM for re-injection should be recorded and made available to the regulatory agency. Such low toxic OBM having aromatic content < 1% should be made available at the installation.

(i) In case, DC is associated with high oil content from hydrocarbon bearing formation, then disposal of DC should not have oil content > 10 gm/kg.

(j) The DC wash water should be treated to confirm limits notified under EPA, before disposal into Sea. The treated effluent should be monitored regularly.

(k) Discharge of DC from the installation located within 5 km away from shore should ensure that there is no adverse impact on marine Eco-system and on the shore. If, adverse impact is observed, then the Industries have to bring the DC on-shore for disposal in an impervious waste disposal pit.

(l) If any, environmental friendly technology emerges for substitution of DF and disposal technology, it may be brought to the notice of MoEF and regulatory agencies. If the operator desires to adopt such environment friendly technology a prior approval from Ministry of Environment and Forests is required.

(m) Barite used in preparation of DF shall not contain Hg> 1 mg/kg & Cd> 3 mg/kg.

(n) Oil drilling operators are required to record daily discharge of DC & DF to offshore and also to monitor daily the effluent quality, and submit the compliance report once in every six-month to Ministry of Environment and Forests.";

(iv) after serial number 96 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be added at the end, namely:-

1	2	3	4
"97.	**Boilers Using Agriculture Waste as Fuel**	Step Grate Particulate matter	250 mg / Nm^3
		Horse Shoe/ Pulsating Particulate matter	500 mg / Nm^3 (12% of CO_2)
		Spreader stroker Particulate matter	500 mg / Nm^3 (12% of CO_2);

98. **Guidelines for Pollution Control in Ginning Mills-**

Measures for Noise Control

(I) Creating separate soundproof enclosures for the fans within the ginning area.

(ii) Keeping the fans outside the ginning room in separate enclosures.

(iii) Roller gins may be covered by sound proof enclosures and use of pneumatic feeding of raw cotton while suction of ginned cotton is introduced to considerably reduce the dust pollution level.

Measures for Dust Control

(i) The fugitive emission can be largely controlled by employing mechanical or pneumatic handling of raw material and ginned material through covered ducts and providing overhead hoods connected to exhaust through ducts and filters; use of lifting platforms for bale formers.

(ii) The overhead hoods with exhaust arrangement can be provided at:

(a) The saw-ginning machine where manual handling to maintain proper feeding in the machine.

(b) At the feeding point of the roller ginning machine when manual feeding is carried out.

(c) At the collection points of ginned cotton from saw ginning condenser".

[F. No. Q-15017/95/2000-CPW]
R. K. VAISH, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India vide number S.O. 844 (E) dated 19th November, 1986 and subsequently amended vide S.O. 433(E) dated 18th April, 1987, S.O. 64(E) dated 18th January, 1988, S.O. 3(E) dated 3rd January, 1989, S.O. 190(E) dated 15th March, 1989, G.S.R. 913(E) dated 24th October, 1989, S.O. 12(E) dated the 8th January, 1990, G.S.R. 742(E) dated the 30th August, 1990, S.O. 23(E) dated the 16th January, 1991, G.S.R. 93(E) dated the 21st February, 1991, G.S.R. 95(E) dated the 12th February, 1992, G.S.R. 329(E) dated the 13th March, 1992, G.S.R. 475(E) dated the 5th May, 1992, G.S.R. 797(E) dated the 1st October, 1992, G.S.R. 386(E) dated the 28th April, 1993, G.S.R. 422(E) dated the 19th May, 1993, G.S.R. 801(E) dated the 31st December, 1993, G.S.R. 176(E) dated the 3rd April, 1996, G.S.R. 631(E) dated the 31st October, 1997, G.S.R. 504(E) dated the 20th August, 1998, G.S.R. 7(E) dated the 2nd January, 1999, G.S.R. 682(E) dated the 6th October, 1999, G.S.R. 742(E) dated the 25th September, 2000, G.S.R. 72(E) dated the 6th February, 2001, G.S.R. 54(E) dated the 22nd January, 2002, G.S.R. 371(E) dated the 17th May, 2002, G.S.R. 489(E) dated the 9th July, 2002, S.O. 1088(E) dated the 11th October, 2002, G.S.R. 849(E) dated the 30th December, 2002, G.S.R. 520(E) dated the 1st July, 2003 and G.S.R. 92(E) dated the 29th January, 2004, G.S.R. 448 (E) dated the 12th July, 2004 and Corrigenda G.S.R. 520(E) dated 12th August, 2004, G.S.R 272 (E) dated 5th May 2005 and G.S.R. 315 (E) dated 16th May 2005.

2583 GI/2005-4

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.